न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/135 दायरा दिनांक : 05.09.2023

उनवान

बिरधीलाल पुत्र श्री मांगीलाल, आयु 72 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी कराडिया गुल्जी, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0) (मृतक) जर्ये कायम मुकामान–
राधेश्याम पुत्र स्व0 बिरधीलाल, निवासी कराडिया गुल्जी, पोस्ट बिछालस, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
.... अपीलांट

बनाम

1. मथुरालाल पुत्र श्री कंवरया, आयु 62 वर्ष, जाति चमार
2. मोहनलाल पुत्र श्री कंवरया, आयु 57 वर्ष जाति चमार
   निवासीगण कराडिया गुल्जी, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 16.10.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 111/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल कराडिया गुल्जी, तहसील अटरू में पुराना खसरा नं. 12 की सरकारी आराजी स्थित थी जिसमें से वादी को दिनांक 25.05.1976 को खसरा नं. 12 में से 7 बीघा आराजी आवंटन हुई थी। इसी तरह से प्रतिवादी क्रम 1, 2 के पिता कंवरया को भी खसरा नं. 12 में से 3 बीघा 1 बिस्वा आराजी आवंटन हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2022 से वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध पत्रावली पर आये तथ्यों एवं सामान्य न्याय के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में वर्णित तथ्यों एवं अपीलांट की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया, जबकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार सैटलमेंट से पूर्व ग्राम कराडिया गुल्जी, पटवार क्षेत्र रिछन्दा, तहसील अटरू, जिला बारां की सम्वत 2035–2038, 2039–2042 की जमाबंदी में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट वादी के खाते में खसरा नं. मिन 12 की 7 बीघा भूमि दर्ज थी तथा सैटलमेंट की जमाबंदी में अपीलांट वादी के खाते में खसरा नं. 29 रकबा 0.63 हेक्टर आराजी दर्ज कर दी गई तथा वर्तमान जमाबंदी में भी अपीलांट वादी के खाते में खसरा नम्बर 29 रकबा 0.63 हेक्टर कृषि आराजी दर्ज है, जबकि अपीलांट वादी वर्तमान में खसरा नं. 29 रकबा 0.63 हेक्टर कृषि भूमि के साथ–साथ खसरा नं. 28 की 0.38 हेक्टर, खसरा नं. 27 रकबा 0.06 हेक्टर एवं खसरा नं. 25 रकबा 0.07 हेक्टर कृषि भूमि पर काबिज काश्त है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं उसकी प्रार्थना पर ध्यान दिये बिना उक्त वाद आंशिक रूप से डिक्री कर दिया जिसको वाद की प्रार्थना अनुसार अपीलांट वादी के पक्ष में डिक्री किया जाना अति आवश्यक है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकी सं. 1 का निर्णय करते हुए यह अंकित किया कि वादी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि अपीलांट वादी आज भी 7 बीघा यानि 1.14 हेक्टर आराजी पर काबिज काश्त है, तथा उक्त तनकी आंशिक रूप से अपीलांट वादी के पक्ष में निर्णय कर दी गई। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 2 को भी अपीलांट वादी के विरूद्ध निर्णित कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि रेस्पोडेंट प्रतिवादी कम 1 व 2 के खाते में उनको आवंटित भूमि 3 बीघा 1 बिस्वा से अधिक भूमि दर्ज है अर्थात् रेस्पोडेंट प्रतिवादी कम 1 व 2 के खाते में 0.49 हेक्टर के स्थान पर 0.94 हेक्टर भूमि दर्ज है, परन्तु फिर भी तनकी नं. 3 व 4 का निर्णय करते हुए यह अंकित कर दिया कि अपीलांट वादी मौके पर लम्बे समय से आवंटन अनुसार 7 बीघा यानि 1.12 हेक्टर भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है, साबित करने में विफल रहा है, तथा यह भी साबित करने में विफल रहा है कि उसका घटा हुआ रकबा 0.49 हेक्टर किस खसरा नम्बर में बढ़ाया गया है तथा साथ ही यह अंकित किया कि रेस्पोडेंट प्रतिवादी कम 1 व 2 को खसरा नं. 28 रकबा 0.38 हेक्टर कैसे प्राप्त हुआ यह स्पष्ट नहीं है, अतः तनकी नं. 4 आंशिक रूप से प्रतिवादी कम 1 व 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के तथ्यों के विपरीत ही तनकियों का निर्णय किया गया तथा अन्त में केवल मात्र वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के स्वामित्व व कब्जे की आराजी पर एक दूसरे के द्वारा कब्जा नहीं करने की सहमति के आधार पर उक्त निर्णय पारित कर दिया, जबकि अपीलांट वादी द्वारा अपने वाद की प्रार्थना में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि राजस्व रिकार्ड में वादी के खाते को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के खाते की आराजी खसरा नं. 28 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नं. 25 के रकबे में से 0.07 हेक्टर एवं खसरा नं. 27 का रकबा 0.06 हेक्टर जिस पर वादी काबिज काश्त है, वादी के खाते में दर्ज की जावे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में वर्णित समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए वाद को आंशिक रूप से डिक्री कर दिया, जिसको वाद की प्रार्थना अनुसार अपीलांट वादी के पक्ष में डिक्री किया जाना अति आवश्यक है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2022 को निरस्त कर अपीलांट वादी का वाद, वाद पत्र की प्रार्थना अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.03.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्त का दावा प्रस्तुत किया था अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के अनुसार अनुतोष नहीं दिया। वर्तमान में हमारे खाते में 0.63 हेक्टर आराजी है जबकि हमारे खाते में 1.14 हेक्टर आराजी होनी चाहिए। हमने अधीनस्थ न्यायालय में जमाबंदी संवत 1989 से 2009 पेश की है। जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार मथुरालाल व मोहनलाल के खाते 0.94 हेक्टर भूमि वर्तमान में दर्ज है जो कि 0.49 हेक्टर आराजी होनी चाहिए थी। जमाबंदी संवत 2035–38 में वादग्रस्त आराजी 3 बीघा 1 बिस्वा कंवरया के नाम दर्ज थी जिसे 0.94 हेक्टर कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2022 को निरस्त कर अपीलांट वादी का वाद वाद पत्र की प्रार्थना अनुसार डिक्री फरमाया जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस पर मनन किया। ए.आई. आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में उभयपक्ष की सुनवाई करने के पश्चात् तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया है। अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 एक्जीविट प्रदर्श 3 में खसरा नं. 12 मिन की 7 बीघा आराजी अपीलांट/वादी की गैर खातेदारी में दर्ज है। इसी जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 एक्जीविट प्रदर्श 4 में खसरा नं. 12 मिन की 3 बीघा 1 बिस्वा आराजी कंवरया की गैर खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार एक्जीविट पी 7 के अनुसार हाल खसरा नं. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 व 32 साबिक खसरा नं.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

12 मिन से बने हैं। वादग्रस्त आराजी के इन खसरा नं. में से खसरा नं. 29 की 0.6300 हेक्टर आराजी जमाबंदी सम्वत 2070–2073 एक्जीविट पी 8 के अनुसार अपीलांट/वादी बिरधीलाल पुत्र मांगीलाल की गैर खातेदारी में दर्ज है और एक्जीविट पी 9 जमाबंदी सम्वत 2070–73 के अनुसार खसरा नं. 25 की 0.5600 हेक्टर और खसरा नं. 28 की 0.3800 कुल दो किता की 0.9400 हेक्टर भूमि प्रतिवादी मथुरालाल व मोहनलाल पुत्र कंवरलाल की गैर खातेदारी में दर्ज है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने तनकीवार विवेचन में उक्त समस्त तथ्यों का अंकन विस्तृत रूप से अंकित करते हुए वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादी 1 ता 3 को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द करते हुए वादी की गैर खातेदारी में दर्ज खसरा नं. 29 की 0.63 हेक्टर भूमि पर वादी/अपीलांट के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप, यदि कोई है, नहीं करें। इस आशय का निर्णय पारित किया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 के विवेचन में यह कथन अंकित किया है कि प्रतिवादी कम 1 व 2 की आराजी खसरा नं. 25 व 28 गैर खातेदारी में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार गैर खातेदार को खातेदारी दर्ज होने तक कृषि कार्य के अलावा अन्य कोई अधिकार नहीं होता है। अन्य सभी अधिकार राजस्थान सरकार में निहित होते हैं। अतः वादी गैर खातेदार प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। वादी द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज/मौका मजिस्ट्रेट रिपोर्ट पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादी मौके पर लम्बे समय से आवंटन अनुसार 7 बीघा यानी 1.12 हेक्टर पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना है कि वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि उसका घटा हुआ रकबा 0.49 हेक्टर किस खसरा नम्बर में बढ़ाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन विधि सम्मत प्रतीत होता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट होता है कि वादी को तनकीयात कायम होने के पश्चात साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 18.07.2022 पर यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र बिरधीलाल पुत्र मांगीलाल के बयान लेखबद्ध किये गये। दोनों अभिभाषक आपसी सहमति से शेष साक्ष्य नहीं कराना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात प्रदर्श पी 3 से पी 7 के द्वारा यह साबित नहीं होता है कि वादी की आराजी के रकबे में आयी करीब 0.49 हेक्टर की कमी आस–पास के किस खसरा नम्बर में बढ़ाई गई है क्योंकि वादी द्वारा पेश भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 7 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 12 मिन के हाल खसरा नम्बर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 व 32 बने हैं परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वादी की आराजी का रकबा कम होकर किस खसरे में दर्ज हुआ साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं होता कि प्रतिवादी की आराजी के रकबे में वृद्धि कैसे हुई।

प्रस्तुत अपील के साथ वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 के अनुसार खसरा नम्बर 12 मिन की 7 बीघा आराजी धन्नालाल वल्द देवलाल की गैर खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2039 से 2042 के अनुसार खसरा नम्बर 12 मिन की 7 बीघा आराजी बिरधीलाल पुत्र मांगीलाल की गैर खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 के अनुसार खसरा नम्बर 12 मिन की 7 बीघा आराजी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

केशरीलाल वल्द मांगीलाल की गैर खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 के अनुसार खसरा नम्बर 12 मिन की 3 बीघा 1 बिस्वा आराजी कंवरया की गैर खातेदारी में दर्ज है। साथ ही जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 दिनांक 23.12.2013 के अनुसार खसरा नम्बर 25 व 28 की कुल 0.9400 हेक्टर भूमि मथुरालाल, मोहन लाल पुत्र कंवरलाल की गैर खातेदारी में दर्ज है। इस जमाबंदी के अनुसार यह स्पष्ट है कि मथुरालाल, मोहनलाल पुत्र कंवरलाल की गैरखातेदारी आराजी के रकबे में वृद्धि हुई है परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह आराजी किस खसरा नम्बर की आराजी से आयी है। इसी प्रकार अपीलांट वादी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2039 से 2042 के अनुसार खसरा नम्बर 12 मिन की 7 बीघा आराजी बिरधीलाल पुत्र मांगीलाल की गैर खातेदारी में दर्ज है एवं जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 दिनांक 23.12.2013 के अनुसार खसरा नम्बर 29 की 0.6300 हेक्टर भूमि बिरधीलाल पुत्र मांगीलाल की गैर खातेदारी में दर्ज है इस जमाबंदी से यह स्पष्ट है कि बिरधीलाल पुत्र मांगीलाल की गैर खातेदारी आराजी के रकबे में कमी हुई है परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह आराजी रेस्पोडेंट/प्रतिवादी की गैर खातेदारी में दर्ज हो गयी है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत खसरा नम्बर 12 मिन के अन्य गैर खातेदारों की जमाबंदियों की नये खसरा नम्बर वाली जमाबंदियों की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सैटलमेंट के बाद खसरा नम्बर 12 मिन के अन्य गैर खातेदारों के खाते में वर्तमान में कितनी आराजी दर्ज है।

अतः विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन करने एवं अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/10/24

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

बिरधीलाल पुत्र श्री मांगीलाल, आयु 72 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी कराडिया गुल्जी, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0) (मृतक) जर्ये कायम मुकामान– राधेश्याम पुत्र स्व0 बिरधीलाल, निवासी कराडिया गुल्जी, पोस्ट बिछालस, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0))

.... **अपीलांट**

बनाम

1. मथुरालाल पुत्र श्री कंवरया, आयु 62 वर्ष, जाति चमार
2. मोहनलाल पुत्र श्री कंवरया, आयु 57 वर्ष जाति चमार
   निवासीगण कराडिया गुल्जी, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां (राज0)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2023/135**
मु.द.नं0 **111/2016**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **12.12.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **23 माह 09** सन् **2024**

श्री **जितेन्द्र चौरसिया** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **16 माह 10 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)